

**POST GRADUATE PHARMACY ADMISSION  
COUNSELLING-2024**

**(PGPAC – 2024)**

**FOR**

**Admission to Post Graduate (Pharmacy) Course**

**in G.P.I, Gulzarbagh, Patna.**

**PROSPECTUS**

**शैक्षणिक सत्र – 2024**

**बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद**

**पटना**

**Visit our Website: [bceceboard.bihar.gov.in](http://bceceboard.bihar.gov.in)**

## PGPAC-2024 से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

<u>क्र.सं</u>	<u>विवरण</u>	<u>कॉडिका</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1.	परिचय ।	-	3
2.	संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-सीमा एवं प्रारम्भ।	1	3
3.	संस्थान ।	2	3
4.	संस्थान / पाठ्यक्रम में आरक्षण कोटिवार उपलब्ध सीटें।	3	3
5.	आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति ।	4	3-5
6.	अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताएँ / अर्हतायें ।	5	5-6
7.	PGPAC-2024 के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया।	6	6
8.	Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया ।	7	6-8
9.	कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ ।	8	8
10.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ ।	9	8-9
11.	Schedule-1	-	10

\*\*\*\*\*

# पोस्ट ग्रेज्यूएट फार्मसी नामांकन काउन्सेलिंग-2024

## (Post Graduate Pharmacy Admission Counselling-2024)

### विवरण पुस्तिका

#### परिचय :

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अधीन संचालित राजकीय फार्मसी संस्थान, अगमकुआं, पटना-7 में उपलब्ध पोस्ट ग्रेज्यूएट फार्मसी पाठ्यक्रमों (Post Graduate Pharmacy Courses) यथा M.Pharm (Pharmaceutics) एवं M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry) में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की काउन्सेलिंग GPAT (Graduate Pharmacy Aptitude Test) Qualified अभ्यर्थियों से, valid GPAT SCORE के आधार पर भरा जायेगा, जो अभ्यर्थियों के GPAT परीक्षाफल प्रकाशन के तिथि से तीन वर्षों के लिए मान्य (Valid) होगा, जिसे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की काउन्सेलिंग आयोजित कर पूर्ण किया जायेगा।

#### 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार सीमा एवं प्रारम्भ :

- यह विवरण पुस्तिका PGPAC-2024 की विवरण पुस्तिका के नाम से जानी जायेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

#### 1.1 परिभाषायें :

- 'पाठ्यक्रम' से अभिप्राय है स्नातकोत्तर स्तर के एम. फार्म. (फार्मास्यूटिक्स) एवं एम. फार्म. (फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री) पाठ्यक्रम।
- 'काउन्सेलिंग' से अभिप्राय है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित काउन्सेलिंग अर्न्तवीक्षा (Interview), मूल प्रमाण पत्रों की जाँच एवं valid GPAT SCORE के मेधाक्रमानुसार काउन्सेलिंग की प्रक्रिया।
- 'पर्षद' से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।
- 'सरकार' से अभिप्राय है बिहार सरकार।
- 'परीक्षा नियंत्रक' से अभिप्राय है परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।
- 'बिहार' से अभिप्राय है पुर्नगठन उपरान्त बिहार जो बिहार पुर्नगठन 'अधिनियम-2000 की धारा 4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation ACT 2000) के अनुसार परिभाषित है।
- संस्थान से अभिप्राय है राजकीय फार्मसी संस्थान, अगमकुआं, पटना-7

#### 2. संस्थान :

राजकीय फार्मसी संस्थान, अगमकुआं, पटना-7 में उपलब्ध स्नातकोत्तर फार्मसी पाठ्यक्रमों में नामांकन, विषय परिवर्तन से सम्बन्धित मामलों पर पर्षद द्वारा निर्णय स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के निदेशानुसार लिया जायेगा। पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा। इसके बाद पाठ्यक्रम में परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

#### 3. संस्थान / पाठ्यक्रम में आरक्षण कोटिवार उपलब्ध सीटें Schedule-1 में देखें।

#### 4. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

4.1 PGPAC-2024 की मेधा सूची (Rank List) के आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं आरक्षण का लाभ के लिए PGPAC-2024 के आवेदन के निर्दिष्ट स्थान पर उसी आरक्षण कोटि को भरें जिसके लिए आपको विधिवत जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो। PGPAC-2024 के अनुसार नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के

लिए काउन्सेलिंग निमित्त Online आवेदन Submit करने की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित / लागू आरक्षण सम्बन्धी नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।

4.2 जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उनके लिये प्रत्येक संस्थान की सीटों पर नामांकन हेतु उपरोक्त कंडिका-4.1 के आलोक में आवंटन के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत हैं:-

क्रम	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	16 %
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	1 %
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	18 %
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	12 %
5.	आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG)	3 %
6.	* आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (Reserved for Economically Weaker Sections : EWS)	10 %

शेष 40 % अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (Unreserved Category : UR) की होगी।

(माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 20.06.2024 द्वारा बिहार आरक्षण अधिनियम 18, 2023 तथा बिहार आरक्षण अधिनियम 19, 2023 को set aside किये जाने के फलस्वरूप पूर्व प्रवृत्त आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित इस न्यायादेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP(C) No.-014086/2024, 014425/2024, 014096/2024, 014329/2024, 014079/2024, 014051/2024, 014132/2024, 014094/2024, 014081/2024 एवं 14430/2024 दायर किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी. में पारित आदेश के फलाफल से आरक्षण का प्रावधान प्रभावित होगा।)

नोट - (क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक गजट (संख्या- पटना 284) पटना, दिनांक 26.02.2019 के अनुसार होगा।

(ख) बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2021 की कंडिका-8 में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय-समय पर लागू उर्ध्वचर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक संस्थान एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यह आरक्षण राज्य स्तर पर विशेषज्ञतावार लागू होगा।

परन्तु यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य की निवासी महिलायें ही पात्र होगी। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित / गैर आरक्षित) के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर यथोपेक्षित आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

4.3 जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में आरक्षण कोटियों के लिये कर्णांकित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।

4.4 PGPAC-2024 की मेधा-सूची (Rank List) में अंकित कोटि एवं बिहार सरकार द्वारा तदनुसार निर्गत SC/ ST/ EBC/ BC/ EWS की सूची जो काउन्सेलिंग हेतु Online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू की गयी तथा जिसके लिए विधिवत जाति प्रमाण पत्र आवेदक को प्राप्त हो, उसी के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) मान्य होगा। PGPAC-2024 के आवेदक जिस आरक्षण कोटि को Online आवेदन में भरेंगे वही आरक्षण कोटि नामांकन हेतु चयन के लिए मान्य होगा। Online आवेदन में अपने आरक्षण कोटि की प्रविष्टि सही-सही करें, अन्यथा इसमें किसी भूल या त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

4.5 (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य कोटि की मेधासूची में स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें सामान्य कोटि (Open Merit) में मनोनुकूल पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपनी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेधाक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा।

(ii) इस संदर्भ में राज्य सरकार/माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिज्ञा-निर्देज्ञ जारी किया जाता है तो उसे विचारोपरान्त अद्यतन रूप से लागू किया जा सकता है।

4.6 दिव्यांग कोटा (Disabled Quota/ Dibyang Quota i.e. DQ) के अन्तर्गत आरक्षित सीटें।

4.6.1 दिव्यांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की 5 (पाँच) प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार की प्रक्रिया आरम्भ करती है तब उसी आदेश के अनुरूप दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन हेतु आरक्षण-प्रावधान लागू होगा।

4.6.2 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी PGPAC-2024 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए अपने ऑन लाईन आवेदन में निर्धारित स्थान पर DQ (Dibyang Quota) अंकित करें।

दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थियों को बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण का होना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी को अभिप्रमाणित फुल साईज का फोटो चिपका होना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में दिव्यांगता का स्वरूप, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता के स्थायी होने अथवा दिव्यांगता के घटने-बढ़ने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र (DQ Certificate) कब तक के लिये मान्य है की अवधि / तिथि का उल्लेख होना चाहिए।

4.6.3 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक तभी पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जबकि स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। डॉक्टरी जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। डॉक्टरी जाँच के लिये अलग से शुल्क देय होगा।

5. अभ्यर्थियों के लिए वांछित योग्यताएँ / अर्हताएँ :

5.1 (i) M.Pharm (Pharmaceutics) एवं M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry) पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु PCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 55% अंकों, अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 50% अंकों (बी. फार्म के चार वर्षों का कुल योग) के साथ बी. फार्म. की विश्वविद्यालयीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ii) बी. फार्म पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद कम से कम 5 वर्षों का पेशेवर अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एम. फार्म प्रोग्राम में प्रवेश के लिए उत्तीर्णता प्रतिशत में 55% से 50% तक की छूट रहेगी।

(iii) देश के किसी भी भेषजी संस्थान में भेषजी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चुने गये प्रत्येक क्षेत्र को राज्य भेषजी परिषद में पंजीकृत होना चाहिए *अथवा* अपने प्रवेश की तारीख से एक महीने के भीतर उसे पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए, जिसमें असफल होने पर अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

(iv) उपरोक्त प्रावधान PCI (Pharmacy Council of India) के निर्णयानुसार संशोधित / परिमार्जित की जा सकती है।

(v) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र के अनुसार भविष्य में अगर कोई निर्देश दिया जाता है तो तदनुसार विचारोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

5.2 आयु सीमा :

M.Pharm (Pharmaceutics) एवं M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

5.3 शारीरिक :

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की डॉक्टरी जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को नामांकन हेतु चयन किया जायेगा। जाँच के लिए अलग से शुल्क देय होगा।

5.4 आवासीय अहता :

केवल वे ही आवेदक PGPAC-2024 के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और

i. जिनके माता-पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं।

अथवा

- ii. जिनके माता-पिता बिहार में निर्बंधित शरणार्थी हैं।  
अथवा
- iii. जिनके माता-पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं।  
अथवा
- iv. जिनके माता-पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।  
अथवा
- v. जिनके माता-पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार राज्य में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों के कर्मचारी हैं।  
अथवा
- vi. जिनके माता-पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।

6. **PGPAC-2024 के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया :**

- i. नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया काउन्सेलिंग के आधार पर की जायेगी।
- ii. काउन्सेलिंग हेतु जो अभ्यर्थी **GPAT Qualified** है और जिन्होंने निर्धारित कुल प्रतिशत के साथ वांछित विषयों में **B.Pharm** उत्तीर्ण कर लिया है उनकी **Valid GPAT SCORE** के अनुसार कोटिवार मेधासूची बनायी जायेगी और इसी मेधासूची क्रम से अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी की जायेगी।
- iii. इस चयन प्रक्रिया में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, जो भी निर्णय परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लेगा, वह सर्वमान्य होगा।
- iv. **PGPAC-2024 हेतु Online आवेदन की अनिवार्यता ;**

उपर वर्णित कंडिका-5 एवं 6(i) से 6(iii) तक के अनुसार योग्य (Eligible) आवेदकों / अभ्यर्थियों के लिए Online आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे वे PGPAC-2024 से सम्बन्धित किसी भी काउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे और इस सम्बन्ध में बाद में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

7. **Online आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया :**

PGPAC-2024 में सम्मिलित होने के लिए विवरण-पुस्तिका पर्षद के Website : [bceceboard.bihar.gov.in](http://bceceboard.bihar.gov.in) से Download कर प्राप्त कर सकते हैं।

PGPAC-2024 में सम्मिलित होने के लिए योग्यता प्राप्त (Eligible) अभ्यर्थी उपरोक्त website के Apply for PGPAC-2024 के Link पर Click करें। इसके साथ ही Online आवेदन हेतु screen पर दिये गये निर्देशों (Instructions) को अच्छी तरह पढ़ लें।

- I. **Step-One - Registration :** For registering, the candidate is required to fill the information asked in Step-One of the application form, appearing on the computer screen. Candidate while registering, must see that he / she is giving his / her own email ID and mobile no., because all informations concerning registration will be sent on the same email ID and mobile no. The candidate will have to verify their Mobile no. and Email ID through a verification code sent on their respective mobile no. and email ID. After verification of mobile no. and email ID and having successful Registration, the mobile no. and email ID will not be changed under any circumstances. After successful Registration candidate will receive a message of successful registration on their registered mobile no. and email. After that candidate will have to login to their account by entering their registered email ID and Password and will process the further activities to duly submit their online application form. The candidate must keep the password entered in Application Form confidential, otherwise BCECE Board will not be responsible for any complication. The email ID given by the candidate will be his user name.
- II. **Step-two - (Personal Information) :** After successful registration and activating the account, the candidate should again "Sign in" to his account and thereafter complete the required entries regarding personal information on the computer screen. Then click on "Save & Continue" button.
- III. **Step-Three - (Upload Photo and Signature) :** After entering the personal information the candidate should upload his / her passport size photograph of high contrast (Photo must be snapped with placard containing candidate's name and snapping date), and full signature in Hindi and English (Not in capital letter) after duly scanning the same. After uploading photo and signature click on "Save & Continue" button.

**IV. Step-Four - (Educational Information) :** After uploading the scanned photo and signature the candidate should enter his / her educational information on the computer screen and click on **“Save & Continue”** button.

**Note :** The candidates who have obtained GPAT score in their B. Pharm Degree has to calculate their percentage themselves and submit the value during the filling of educational information. In this regard they have to produce the percentage conversion certificate from the concerned institution during the time of counselling.

**V. Step - Five (Preview your application) :** After entering educational information the candidate must verify all the information given by him/her while verifying given information in step-2, step-3 and step-4. If any information is found wrong, then the candidate should click **“Back to Edit”** button and make required corrections. Thereafter the candidate should click **“Save & Continue”** button so that entered information should be updated.

If preview of application form is found to be correct, then the candidate give his / her Declaration and click the **“Confirm & Submit”** button so that he / she should pay Examination Fee as per Step-Six.

**VI. Step - Six (Payment of Counselling Fee) :** After preview of the Application Form and submitting the same, the candidate should click **“Proceed to Payment”** button and complete the payment procedure according to instructions appeared on the computer screen regarding payment of Counselling Fee. Paid Counselling Fee will not to be refunded.

**a. Online Payment :** The candidate have to pay Counselling Fee through Online mode only e.g. Credit Card / Debit Card / Net banking/ UPI. He / she should select online option from payment mode appearing on the computer screen and **“Make the Payment”** through Credit Card / Debit Card / Net banking/ UPI. The candidate has to pay processing charge additional to Counselling Fee for payment through online mode.

**b. Counselling Fee :** Counselling fee to be paid through above modes is Rs. 2200/- (Two Thousand Two Hundred) only for all categories i.e. (Unreserved / SC / ST / EBC / BC / DQ) candidates.

**Note: (i)** If the amount paid as Examination / Counselling fee is debited from your account but the fee transaction fails, then in such a case you must re-pay the desired full fee and ensure the payment. If your required Examination / Counselling fee do not reflect in Board’s account within the due date, your application form will remain incomplete and you will not be eligible for Examination / Counselling.

**Your failed deducted amount from bank will be refunded to your account.**

**(ii)** Any queries regarding Examination / Counselling fee you may contact [bangalorepgsd@billdesk.com](mailto:bangalorepgsd@billdesk.com) available on online application portal **or** helpdesk phone number 0612-2220230.

**VII. Step - Seven (Download part- A & Part-B) :** After payment of Counselling Fee upto scheduled date and time, the candidate must download Hard Copy (Part-A & and Part-B) of online submitted Application Form and keep the same safely in his possession because it contains all informations provided by the candidate and the PGPAC ID made available by the Board for further use during counselling.

**Note :** a. The candidates are required to fill up there reservation category very carefully taking into consideration the reservation Policy / Rules / Category as specified and applicable in the State of Bihar on or before the date of starting the process of Online Submission of the prescribed application form of PGPAC-2024.

b. Hard copy of PART-A & PART-B need not to be sent to the Board's office, but instead this is to be made available at the time of counselling.

c. After completing the above procedure and finally submitting the online application form, there is no provision for any change or modification in the same.

d. The candidate must note that after submission of online application form, neither it can be withdrawn nor any request for refund / chargeback of paid counselling fee will be entertained.

e. Board will not be responsible for any interruption in Internet / Postal / Banking system. Therefore the candidates must not wait till the last date, so complete all the steps before due date.

f. On the basis of merit and availability of seat, the Counselling programme will be published on the Board's Website on **27.09.2024**.

g. No other chance will be given to any candidate for submitting online application after due date for online submission of application.

h. Incomplete Application Form will not be entertained and will be summarily rejected.

**VIII.(i)** After online submission of application, if the applicant finds that while filling up such application the error regarding any entries / photo / signature uplodng has / have been made, then he/ she will have opportunity to Edit / Rectify the same from **25.09.2024 (11.59 p.m.)**.

**(ii)** The above mentioned editing / rectification / correction opportunity will be available for only those candidates, who have online filled in application form completely within the specified period.

**(iii)** For making rectification / correction / edition in online submitted application, the application is required to enter his / her Registered Email Id & Password and click **“Sign in”** button for getting his account to login whereby the editing process can be carried out.

**IX.** All the certificates included in the list given below, if applicable, must be submitted in original by every candidate at the time of his / her counselling / allotment on the scheduled dated;

**(i)** Original GPAT Score Card

**(ii)** Rank Card of PGPAC-2024.

**(iii)** Passing Certificate / Marks Sheet / Admit Card of Matric / Equivalent Examination.

**(iv)** Passing Certificate / Marks Sheet / Admit Card of Intermediate Sc. / Equivalent Examination.

**(v)** Passing Certificate / Marks Sheet of B. Pharm.

**(vi)** CGPA to Percentage Conversion Certificate by concerned Institution (if applicable).

- (vii) Residence Certificate duly issued by concerned C.O./ Revenue Officer.
- (viii) Caste Certificate duly issued by Concerned C.O. / Revenue Officer of Permanent Residence.
- (ix) EWS Certificate for current year issued by proper authority (if required).
- (x) DQ Certificate issued by proper authority (if required).
- (xi) Six copies of passport size photograph which were uploaded during filling of Online Application Form.
- (xii) Copy of Aadhar Card.
- (xiii) Downloaded Print of Online filled Application Form (Part-A and Part-B) PGPAC-2024

**X. Important dates for PGPAC-2024 :**

- (i) Online Registration starting date ..... : **18.09.2024**
- (ii) Online Registration closing date ..... : **24.09.2024 (10.00 PM)**
- (iii) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI with final submission of the online Application Form of Registered candidate ..... : **24.09.2024 (11.59 PM)**
- (iv) Online Editing of Application Form ..... : **25.09.2024 (11.59 PM)**
- (v) Publication of Rank Card & Counselling Programme ..... : **27.09.2024**
- (vi) Proposed date of Offline Counselling ..... : **30.09.2024**

**8. कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें :**

- 8.1 (क) जो आवेदक अपने ऑन लाइन आवेदन / कॉउन्सेलिंग के समय / नामांकन हेतु चयन की किसी भी प्रक्रिया में अगर अनुचित तरीके अपनाने के दोषी पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नामांकन की प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा। ऐसे निष्कासित अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

(ख) G.P.I, Gulzarbagh, Patna में उपलब्ध M.Pharm (Pharmaceutics) एवं M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry) पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु चयन स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार ही कॉउन्सेलिंग की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

- 8.2 इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु नामांकन शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- 8.3 PGPAC-2024 के आधार पर मेधा-सूची (Rank List) तैयार करने में यदि किसी प्रकार की भूल / गलती का पता चलने पर नामांकन हेतु चयन का दावा नहीं किया जा सकेगा।
- 8.4 प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों की जाँच के बाद अन्तिम रूप से योग्य पाये जाने पर मेधा-सह-विकल्प के आधार पर निर्धारित तिथि / समय पर कॉउन्सेलिंग के क्रम में पाठ्यक्रम का आवंटन किया जायेगा।
- 8.5 PGPAC-2024 के आधार पर नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए PCI के प्रावधान जो स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश में संसूचित किया जायेगा उसी प्रावधान को नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया में लागू किया जायेगा।
- 8.6 PGPAC-2024 से सम्बन्धित सूचना विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना / सूचनायें या पर्षद की वेबसाइट पर दी गयी सूचना / सूचनाएं, इसी विवरण पुस्तिका के अंश होंगे।

**9. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :**

- 9.1 PGPAC-2024 की मेधासूची के आधार पर कॉउन्सेलिंग का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा। पर्षद् द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे।
- 9.2 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें।
- 9.3 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोधन / परिवर्तन होगी या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को उनके साक्षात्कार के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा।
- 9.4 समय-समय पर Website के माध्यम से PGPAC-2024 की कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित सूचना / सूचनायें दी जाती रहेंगी। उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।
- 9.5 PGPAC-2024 हेतु निर्गत इस विवरण पुस्तिका / आवेदन प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम / सूचना को परिवर्तित / विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है।
- 9.6 PGPAC-2024 के लिए किसी आवेदक की उम्मीदवारी अगर रद्द की जाती है तो इसे सम्बन्धित आवेदक को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।



- 9.7 PGPAC-2024 की मेधासूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्चों से स्वयं कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार में प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों / योग्यता एवं पहचान की जाँच हेतु सूनिश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु चयन का दावा नहीं बनेगा।
- 9.8 PGPAC-2024 की मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों के साथ स्वयं केवल उपस्थित होने से ही नामांकन हेतु चयन का दावा नहीं बनेगा।
- 9.9 अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी को PGPAC-2024 की कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् इसका पता चलता है तो वह मेधासूची में सम्मिलित होने के बाद भी नामांकन हेतु चयन या नामांकन का दावा नहीं कर सकेगा।
- 9.10 अगर इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में इस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन हेतु आवंटनादेश निर्गत नहीं किया जायेगा।
- 9.11 नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद, नामांकन घोषित तिथि समाप्त होने पर किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर भरी नहीं जा सकेंगी।
- 9.12 PGPAC-2024 के संचालन तथा इससे सम्बन्धित / आवेदन से सम्बन्धित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों में दायर किये जायेंगे सिर्फ वही मान्य होंगे।
- नोट : पी0 सी0 आई0, नई दिल्ली से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की मान्यता के पश्चात ही नामांकन लिया जा सकेगा।

\*\*\*\*\*

10

**Schedule-1****PGPAC-2024**

INSTITUTION	COURSE	Total Seats	1/3 Seats for Female	Distribution of Seats														
				UR	F_UR	SC	F_SC	ST	F_ST	EBC	F_EBC	BC	F_BC	RCG	EWS	F_EWS	Total	DQ*
G.P.I., Patna	Pharmaceutics	12	4	3	2	1	1	0	0	2	0	1	1	0	1	0	12	1
G.P.I., Patna	Pharmaceutical Chemistry	9	3	3	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	9	0
<b>Total</b>		<b>21</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>1</b>

नोट :

- (i) संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षणवार सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
- (ii) दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।